>

Title: Regarding mandatory paper of English language in Civil Service Examination.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने 1978 के बाद केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं का एकमात्र माध्यम अंग्रेजी न रखकर सभी प्रत्याशियों को भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की थी। इसमें विभिन्न प्रदेशों के गरीब तथा पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों ने लाभ उठाया था और उनका चयन भी संभव हो सका था।

अब आयोग ने वर्ष 2011 की परीक्षाओं के लिए चालीस अंक का अंग्रेजी पर्चा अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय को लेकर भारत की विभिन्न भाषाओं के उन युवाओं को वंचित किया जा रहा है जो ग्रामीण परिवेश में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और अंग्रेजी का अभ्यास न होने के कारण अंग्रेजी माध्यम से आए हुए प्रतिभागियों की स्पर्धा में मुकाबला नहीं कर सकते। भारत गांवों का देश है। यहां हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाएं ही बोली जाती हैं। उनके बीच काम करने वालों को इन भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लोक सेवा आयोग के इस निर्णय से हिन्दी जगत में काफी विरोध है। इसे देखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है कि प्रतियोगी अपनी भाषा में साक्षात्कार दे सकते हैं। तब अंग्रेजी पर्चे की अनिवार्यता क्यों?

महोदय, राजभाषा हिन्दी के अग्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करने के राजभाषा अधिनियम 1963 की तथा संविधान की भावना के विपरीत अंग्रेजी के पक्ष में निर्णय लेने की क्या बाध्यता थी। अंग्रेजी के साम्राज्यवाद को देश में बनाए रखने के लिए अंग्रेजी थोपकर भारतीय भाषाओं के बीच कटुता फैलाने और देश को विखंडित करने के लिए लम्बे समय से षडयंत्र चल रहा है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रत्याशियों को उस जनता के लिए काम करना होता है जिसका बहुमत अंग्रेजी नहीं समझता। मेरे पास बड़ी संख्या में पीएससी में बैठने वाले छात्र आए थे। ...(व्यवधान) इस वजह से मैंने इस मामले को यहां उठाया है। आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Arjun Ram Meghwal and Shri Jitendra Singh Bundela are permitted to associate with the issue raised by Shri Ganesh Singh.